107

संख्या– 39 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

आर0सी0 अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।
2–मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम, हरिद्वार/ हल्द्वानी।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:: दिनांक: 17 :जनवरी, 2012

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा मे नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2011–12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) से प्रथम माह–जनवरी के लिये धनराशि का तदर्थ आधार पर संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम, देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी को चालू वितीय वर्ष 2011–12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) से माह–जनवरी, 2012 हेतु तदर्थ आधार पर **रू0 37731000.00 (₹ तीन करोड़ सतहत्तर लाख इक्कतीस हजार मात्र)** संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि के बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो

वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक की **अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—191—नगर निगम—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता** के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव।

<u>संख्या— 39 (1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3— जिलाधिकारी—**देहरादून/ हरिद्वार/ नैनीताल**, उत्तराखण्ड।
4— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6— निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23—लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10— एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11— वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने तक वितीय वर्ष 2011–12 हेतु नगर निगम को चतुर्थ किशत से प्रथम माह (जनवरी, 2012) हेतु अवमुक्त धनराशि

(धनराशि हजार ₹में)

क0स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किशत	चतुर्थ किशत से प्रथम माह (जनवरी) हेतु अवमुक्त धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
1- नगर निगम			
1-	देहरादून	71135.00	23711
2-	हरिद्वार	21106.00	7035
3-	हल्द्वानी	20957.00	6985
	योगः–	**113198.00**	**37731.00**

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।